

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 170/2015/अजमेर.

मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड,
बांगड़ नगर, ब्यावर, अजमेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त-अजमेर.
2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर.

.....प्रत्यर्थीगण.

2. अपील संख्या - 474/2015/अजमेर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त-अजमेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड,
बांगड़ नगर, ब्यावर, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 170/2015 एवं राजस्व द्वारा अपील संख्या 474/2015 अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 193/13-14/वैट/ब्यावर में पारित आदेश दिनांक 28.10.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन दोनों अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वर्ष 2011-12 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.01.2014 में अपीलार्थी द्वार क्लेम की गई आई.टी.सी में से ₹ 11.22 लाख की आई.टी.सी को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि वह उन वस्तुओं की खरीद पर लिया गया है, जो अपीलार्थी द्वारा माइनिंग कार्य हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी के टायर-ट्यूब व बिट के क्रय से संबंधित थी। इसके अलावा आई.टी.सी. क्लेम से सम्बन्धित कर के भुगतान का सत्यापन न होने से उसका समायोजन नहीं दिया गया था। उक्त बिन्दु के अलावा अपीलार्थी व्यवहारी को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन

लगातार.....2

योजना (RIPS), 2003 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 28.07.2003 व दिनांक 02.12.2005 के तहत जो सब्सिडी स्वीकृत की गई थी, उसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.04.2006 से समाप्त कर दिया गया था परन्तु अपीलार्थी द्वारा उसके विरुद्ध याचिका दायर की गई थी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा राजस्व के पक्ष में दिनांक 08.09.2012 को स्थगन दिया हुआ था, अतः आवेदित सब्सिडी का लाभ नहीं दिया गया।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलीय आदेश, कर निर्धारण आदेश तथा रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नांकित निर्णय किया जाता है :-

6. अपीलार्थी द्वारा क्लेम की गई आई.टी.सी में से रूपये 11.23 लाख की आई.टी.सी क्लेम को कर निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर रिवर्स किया था कि वह खरीदशुदा माल केवल खनन कार्य के उपयोग में लिया गया है अतः वह माल न तो विनिर्माण के लिये कच्चा माल था एवं न ही Capital Goods की श्रेणी में शामिल योग्य है क्योंकि खनन कार्य विनिर्माण की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।

7. सीमेंट इकाईयों द्वारा खनन कार्य में प्रयुक्त वस्तुओं पर क्लेम की गई आई.टी.सी के विवाद पर राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1320/2013/सिरोही वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-II, जयपुर बनाम मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड, पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही निर्णय दिनांक 26.06.2014 में विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है कि सीमेंट विनिर्माण के पूर्व जो खनन का कार्य किया जाता है वह विनिर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं होने से उस पर अधिनियम की धारा 18 के तहत आई.टी.सी का लाभ देय नहीं है। कर बोर्ड द्वारा दिये गये उक्त आदेश से यह प्रकरण कवर्ड होने के कारण अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. अपीलीय अधिकारी द्वारा रूपये 1.18 लाख के आगत कर को स्वीकृत करने की सीमा तक दिये गये निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि अपील सुनवाई में परीक्षण पर वे 'माल' विनिर्माण कार्य से संबंधित पाये गये थे। फलतः राजस्व की अपील इस बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है।

9. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के आई.टी.सी का जो क्लेम सत्यापन न होने के आधार पर अस्वीकृत किया था उस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं की गई है क्योंकि कर जमा होने के सत्यापन पर आई.टी.सी. क्लेम दिया जाने के निर्देश दिया जाना विधिनुकूल एवं न्यायसम्मत है। अतः इस बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।





10. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रिफ्स योजना, 2003 के तहत सब्सिडी देने संबंधी जो विवाद किया गया है, उसमें यह बिन्दु था कि अपीलार्थी व्यवहारी को राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा 75 प्रतिशत की सीमा तक विशिष्ट सब्सिडी दी गई थी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.04.2006 से यह विशिष्ट लाभ हटा दिया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका की जाने पर माननीय एकलपीठ द्वारा सब्सिडी दिये जाने के आदेश दिये गये थे परन्तु राजस्व की विशेष अपील पर माननीय खण्डपीठ द्वारा उस आदेश पर स्थगन दिया गया था। इस आधार पर अपीलार्थी अधिकारी द्वारा कम सब्सिडी दिये जाने के बिन्दु को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित अपील के निर्णय तक कोई निर्णय नहीं किये जाने का हवाला दिया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा स्पेशल अपील (याचिका संख्या 1719/2011 एवं 644/2012) में दिनांक 06.12.2016 को यह निर्णय पारित कर अपीलार्थी के पक्ष को अमान्य करते हुये 75 प्रतिशत से क्लेम की गई सब्सिडी को अविधिक घोषित किया जा चुका है फलतः अधिक क्लेम की गई सब्सिडी के बिन्दु पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

11. फलतः अपीलार्थी राजस्व एवं अपीलार्थी व्यवहारी की उक्त दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष